न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 55/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/266)

1. रामेश्वर पुत्र मूलचन्द जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम धर्मपुरा, तहसील सैंथल, जिला दौसा।

–अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार सैंथल, तहसील सैंथल, जिला दौसा।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा, जिला दौसा।
3. ग्राम पंचायत बडोली, पंचायत समिति दौसा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बडोली, पंचायत समिति दौसा।
4. उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा।
5. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा।
6. अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग परियोजना खण्ड सोहेला टोंक, जिला टोंक राज0।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 03.06.2022 जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 349/4 रकबा 3.30 है0 भूमि वाके ग्राम धर्मपुरा तहसील सैंथल ईसरदा बांध परियोजना के अन्तर्गत उच्च जलाशय हेतु आवंटित की गई।

उपस्थित :–

1. श्री उमेश कुमार गौड, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1व 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–20.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 03.06.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग परियोजना खण्ड सोहेला, टोंक द्वारा अनुरोध करने पर उपखण्ड अधिकारी, दौसा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/आवंटन/2022/713 दिनांक 13.04.2022 एवं तहसीलदार सैंथल ने अपने पत्र क्रमांकः भू०अ०/22/721 दिनांकः 12.04.2022 के द्वारा ग्राम धर्मपुरा तहसील सैंथल स्थित राजकीय सिवायचक (किस्म बंजड) भूमि खसरा नम्बर 349/4 रकबा 3.30 है0 में से 3.00 है० भूमि ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत उच्च जलाशय निर्माण हेतु आवंटन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बड़ौली पं०स० दौसा द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 29.03.2022 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है।

   जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2022 द्वारा अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग परियोजना खण्ड सोहेला, टोंक के अनुरोध, ग्राम पंचायत बड़ौली पं०स० दौसा की अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) सैथल व उपखण्ड अधिकारी दौसा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम धर्मपुरा तहसील सैथल स्थित राजकीय सिवायचक (किस्म बंजड) भूमि खसरा नम्बर 349/4 रकबा 3.30 है० में से 3.00 है० भूमि ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत उच्च जलाशय निर्माण हेतु (जरिये अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग परियोजना खण्ड सोहेला, टोंक) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 यथासंशोधित के निम्न प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आवंटित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 03.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामेश्वर पुत्र मूलचन्द द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4 अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 349/4 रकबा 3.30 है० भूमि वाके ग्राम धर्मपुरा का आवंटन ईसरदा बांध परियोजना के अन्तर्गत उच्च जलाशय निर्माण हेतु आवंटित फरमाने में विधिक तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है। आराजी खसरा नम्बर 349/4 रकबा 3.30 है0 वाके ग्राम धर्मपुरा कागजात राजस्व एवं पटवार में बंजड भूमि अंकित है। अपीलांट करीब 25 वर्ष पूर्व से इस भूमि के रकबा 1.25 है० पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट के कब्जे काश्त का अंकन राजस्व अभिलेख खसरा परिवर्तनशील मे होता आ रहा है। अपीलांट इस भू-भाग को अपने पक्ष में नियमन करवाने का पात्र है क्योकि अपीलांट भूमिहीन काश्त व्यवसायी है जो उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज रहकर अपनी जीविकापार्जन करता आ रहा है। भूमि को नियमन करवाने हेतु अपीलांट ने तहसीलदार तत्कालीन दौसा वर्तमान तहसीलदार सैथल तथा उपजिला कलेक्टर दौसा के समक्ष अनेकों बार आवेदन प्रस्तुत किये किन्तु आवंटन सलाहकार समिति गठित नही होने के कारण भूमि अपीलांट के नाम नियमन नही हुई जबकि अपीलांट उक्त भूमि को नियमन करवाने का पात्र शुरू से रहा है।

अपीलांट का उक्त भूमि पर विगत 25 वर्षो से कब्जा होने के कारण अपीलांट ने अपने कब्जे की भूमि का आवंटन उक्त योजना के अनुरूप नही करने हेतु आपत्ति उपजिला कलेक्टर दौसा एवं जिला कलेक्टर दौसा को दिनांक 05.05.2022 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की सुनवाई नही हुई। अपीलांट के कब्जे काश्त में विगत 25 वर्षो से चली आ रही भूमि का आवंटन नियमों के विरूद्ध किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर को अधिकार प्राप्त नही था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैथल का प्रतिवेदन दिनांक 12.04.2022 है, जो जिला कलेक्टर दौसा के आदेश दिनांक 5.4.2022 की पालना में तैयार कर भिजवाया गया है। वह मौके की स्थिति के विपरीत है। राजस्व अभिलेख खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट के आधिपत्य के विपरीत संपूर्ण भूमि को आधिपत्यहीन बताकर तहसीलदार ने तथ्यात्मक गलती की है। अपीलांट 25 वर्ष पहले काबिज था, आज भी काबिज है। अपीलांट ने फसल बाजरा काश्त की है जो मौके पर विधमान है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा तथ्य को छिपाकर प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रेषित कर उपजिला कलेक्टर दौसा व जिला कलेक्टर दौसा को गुमराह किया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किये बिना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भूमि को आधिपत्यविहीन अंकित किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन नियमन मय अभिलेख उनके कार्यालय में विधमान है।

सरपंच ग्राम पंचायत बडोली व ग्राम विकास अधिकारी ने मौका निरीक्षण किये बिना व ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाये बिना स्वेच्छिकरूप से भूमि को जनस्वास्थ्य विभाग (पीएचईडी) के पक्ष में आवंटन की अनुशंसा दिनांक 12.04.2022 को कर अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुचित रूप से तैयार किया है भूमि के आवंटन हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव आवश्यक शर्त है। दिनांक 29.03.2022 को ग्राम पंचायत बडोली में ग्राम सभा का आयोजन नही हुआ। बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के आवेदन आदेश प्रभावशून्य है। ग्राम धर्मपुरा में आराजी खसरा नम्बर 349/4 जो आधिपत्यविहीन भूमि नही है, जिसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 1 रकबा 3.7 है० भूमि विधमान है जिसे उक्त परियोजनार्थ आवंटित किया जा सकता है। अपीलांट को बिना सूचना व सुनवाई व निष्कासित किये बिना पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.06.2022 नियमानुसार नही होने के कारण खण्डनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.06.2022 अपीलांट के कब्जे की भूमि को आवंटन आदेश से पृथक संशोधित फरमाया जावे या संपूर्ण आदेश निरस्त फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग परियोजना खण्ड सोहेला, टोंक के अनुरोध, ग्राम पंचायत बड़ौली पं०स० दौसा की अनापत्ति तथा तहसीलदार (भूमिधारी) सैथल व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

उपखण्ड अधिकारी दौसा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर ग्राम धर्मपुरा तहसील सैथल स्थित राजकीय सिवायचक (किस्म बंजड) भूमि खसरा नम्बर 349/4 रकबा 3.30 है० में से 3.00 है० भूमि ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत उच्च जलाशय निर्माण हेतु (जरिये अधिशाषी अभियंता जन स्वा० अभि० विभाग परियोजना खण्ड सोहेला, टोंक) राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 यथासंशोधित के निम्न प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत आवंटित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 20.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर